समाहरणालय, दरभंगा।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

परियोजना कोशी नदी पर बलुआहाघाट में गंडौल (सहरसा) से हांटी कोठी बिरौल (दरभंगा) तक पुल एव पथ निर्माण के निमित भू–अर्जन के प्रस्ताव पर सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन एवं विशेषज्ञ समूह के स्तर पर किये गये अध्ययन का मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर अधिनियम–30/13 के धारा–8 (1 एवं 2) के अन्तर्गत

समुचित सरकार का विनिश्चय

इस परियोजना के लिए अधियाची पदाधिकारी, वरीय परियोजना अभियंता, बि0रा0पु0नि0नि0लि0, बलुआहाघाट कैम्प, सहरसा के द्वारा उनके निम्नांकित पत्रों के माध्यम से भूमि अज्रन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) के धारा–2 (1)(b) के तहत भू–अर्जन करने हेतु मौजावार/चादरवार अलग–अलग प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

क्रमांक	अधियाची पदाधिकारी का पत्रांक/दिनांक	अंचल का नाम	मौजा का नाम	अर्जनाधीन रकवा (एकड़ में)
1	07/12.01.2015	बिरौल	हाटी चादर नं0–1	1.335
2	08/12.01.2015		उछटी चादर नं0–1	9.03
3	09/12.01.2015		उछटी चादर नं0–2(टुकड़ा नं0–1)	7.78
4	10/12.01.2015		उछटी चादर नं0–2	4.97
5	11/12.01.2015		सोनपुर चादर नं0–2	5.28
6	12/12.01.2015		सुपौल चादर नं0–4	10.84
7	13/12.01.2015		सुपौल चादर नं0–5	14.32
8	40/23.02.2015	गौड़ाबौराम	पुनाच	23.7711
9	41/23.02.2015		कोठराम चादर नं0–1	15.6754
10	42/23.02.2015		कोठराम चादर नं0–2	39.12
11	14/12.01.2015		बघरासी चादर नं0–1	16.79
12	15/12.01.2015		बघरासी चादर नं0–2	1.00
13	16/12.01.2015		परसरमा चादर नं0–1	8.22
14	17/12.01.2015		परसरमा चादर नं0–2	2.69
15	18/12.01.2015		तेनुआ	9.25

2. उपरोक्त अधियाचनों में दरभंगा जिला के दो अंचलों के कुल नौ मौजे निहित है।
3. उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में अधिनियम की धारा–4–5 के तहत अर्जनाधीन क्षेत्र के सभी मौजाओं का संयुक्त रूप से सामाजिक प्रभाव आकलन ए0एन0 सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना के माध्यम से कराया गया जिससे प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन के सारांश को हिन्दी भाषा में अधिनियम के धारा–6(1) के तहत इस कार्यालय के ज्ञापांक 830/भू–अ0, दिनांक 27.09.2016 के द्वारा निर्दिष्ट स्थलों एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन कराया गया।
4. अधिनियम के धारा–7 के तहत उपरोक्त प्राप्त सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का विशेषज्ञ समूह के द्वारा अध्ययन काराया गया जिसका मूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक 14.10.2016 को प्राप्त हुआ। इस मूल्यांकन प्रतिवेदन को भी अधिनियम के धारा–7(6) के तहत इस कार्यालय के ज्ञापांक–02/मु0, दिनांक 15.10.2016 के द्वारा निर्दिष्ट स्थलों एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन कराया गया।
5. उपरोक्त प्रकाशन के उपरांत अर्जनाधीन क्षेत्र के हितबद्ध अथवा अन्य व्यक्तियों की ओर से कोई आपति प्राप्त नही हुआ।
6. उपरोक्त परियोजना के निमित अधियाची विभाग से प्राप्त मौजावार अलग–अलग प्रस्तावों एवं उन पर संयुक्त रूप से कराये गये सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के प्रतिवेदन एवं उसपर विशेषज्ञ समूह से प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन का अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर गहन अवलोकन विश्लेषण एवं समीक्षा करने के उपरांत निम्नांकित तथ्य स्पष्ट हुआ है :–

(क) वर्त्तमान में अर्जनाधीन क्षेत्र के निवासियों को सहरसा से दरभंगा तक आवागमन करने अथवा अन्य बाहरी शहरों तक आवागमन करने हेतु सीधा मोटरेबुल सड़क नही है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर सहरसा एवं दरभंगा के बीच की दूरी मात्र 88 कि0मी0 रह जायेगी जो वर्त्तमान में करीब 245 कि0मी0 है। प्रस्तावित सड़क एवं पुल के निर्माण हो जाने पर इस क्षेत्र के निवासियों का सम्पर्क बाहरी शहरों से करना आसान हो जायेगा तथ इस क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

(ख) इस प्रस्तावित सड़क का लाईनिंग इस प्रकार बनाया गया है जिसमें न्यूनतम दूरी तक भूमि अर्जन करने की आवश्यकता हो रही है। प्रस्तावित सड़क की दूरी 13 कि0मी0 है।

(ग) इस परियोजना में न्यूनतम विस्थापन के विकल्प को चुना गया है। इसमें काफी कम संख्या में आवादी के विस्थापित होने की संभावना है। जो छिटफुट परिवार विस्थापित होंगे उनके लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुनर्स्थापन कराने की कार्रवाई की जायेगी।

(घ) इस अर्जन से होने वाले कुप्रभाव की तीव्रता कम है। कुछ कुप्रभाव प्रतिवेदित है जिसका सामाधान सुधारात्मक तरीका अपनाकर किया जा सकेगा।

(ङ) इस परियोजना का सामाजिक प्रभावों में से सकारात्मक ज्यादा है तथा नाकारात्मक कम है।

(च) उक्त सड़क निर्माण होने पर ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर अपने दैनिक कार्यों में जो असुविधा होने की संभावना प्रतिवेदित है उनके निदान के लिए प्रावधानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

(छ) प्रतिवेदन के अनुसार भू–अर्जन क्रम में लोगों के सामने भूमि का मापी कराने, स्वत्व निर्धारित कराने, प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान प्राप्त करने वगैरह समस्या आ सकती है जिसके समाधान हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी।

विनिश्चय :– उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह विनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इस हेतु भू–अर्जन करने का सामाजिक मूल्य (Social Cost) कम है तथा सामाजिक लाभ (Social Benifits) ज्यादा है।

निर्णय :– परियोजना कोशी नदी बलुआहाघाट गंडौल (सहरसा) से हांटी कोठी बिरौल (दरभंगा) तक पुल एवं पथ निर्माण के लोक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित नौ मौजे के चिन्हित भू–खण्डों का अर्जन अधिनियम–30/13 के प्रावधानों के तहत प्रभावित व्यक्तियों को उचित प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान करते हुए किया जायेगा तथा इसके लिए अधिनियम के धारा–11 के तहत हितबद्ध रैयतों के नाम सहित अधिसूचनाओं का प्रकाशन सम्यक रूप से कराया जायेगा।

समाहर्त्ता, दरभंगा
–सह–
समुचित सरकार

ज्ञापांक 894 /भू–अ0, दिनांक 20/X/16

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– अंचला अधिकारी, बिरौल/गौड़ा–बोराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा के तहसील कार्यालयों एवं ग्रामों में प्रकाशन कराकर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

प्रतिलिपि :– सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला समाहर्त्ता, दरभंगा के बेवसाईट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

प्रतिलिपि :– वरीय परियोजना अभियंता, बि0रा0पु0नि0नि0लि0, कैम्प बलुआहाघाट, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भू–अर्जन के बेवसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

20/10/16
समाहर्त्ता, दरभंगा
–सह–
समुचित सरकार

(क) वर्त्तमान में अर्जनाधीन क्षेत्र के निवासियों को सहरसा से दरभंगा तक आवागमन करने अथवा अन्य बाहरी शहरों तक आवागमन करने हेतु सीधा मोटरेबुल सड़क नही है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर सहरसा एवं दरभंगा के बीच की दूरी मात्र 88 कि0मी0 रह जायेगी जो वर्त्तमान में करीब 245 कि0मी0 है। प्रस्तावित सड़क एवं पुल के निर्माण हो जाने पर इस क्षेत्र के निवासियों का सम्पर्क बाहरी शहरों से करना आसान हो जायेगा तथ इस क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

(ख) इस प्रस्तावित सड़क का लाईनिंग इस प्रकार बनाया गया है जिसमें न्यूनतम दूरी तक भूमि अर्जन करने की आवश्यकता हो रही है। प्रस्तावित सड़क की दूरी 13 कि0मी0 है।

(ग) इस परियोजना में न्यूनतम विस्थापन के विकल्प को चुना गया है। इसमें काफी कम संख्या में आवादी के विस्थापित होने की संभावना है। जो छिटफुट परिवार विस्थापित होंगे उनके लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुनर्स्थापन कराने की कार्रवाई की जायेगी।

(घ) इस अर्जन से होने वाले कुप्रभाव की तीब्रता कम है। कुछ कुप्रभाव प्रतिवेदित है जिसका सामाधान सुधारात्मक तरीका अपनाकर किया जा सकेगा।

(ङ) इस परियोजना का सामाजिक प्रभावों में से सकारात्मक ज्यादा है तथा नाकारात्मक कम है।

(च) उक्त सड़क निर्माण होने पर ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर अपने दैनिक कार्यों में जो असुविधा होने की संभावना प्रतिवेदित है उनके निदान के लिए प्रावधानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

(छ) प्रतिवेदन के अनुसार भू–अर्जन क्रम में लोगों के सामने भूमि का मापी कराने, स्वत्व निर्धारित कराने, प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान प्राप्त करने वगैरह समस्या आ सकती है जिसके समाधान हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी।

विनिश्चय :– उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह विनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इस हेतु भू–अर्जन करने का सामाजिक मूल्य (Social Cost) कम है तथा सामाजिक लाभ (Social Benifits) ज्यादा है।

निर्णय :– परियोजना कोशी नदी बलुआहाघाट गंडौल (सहरसा) से हांटी कोठी बिरौल (दरभंगा) तक पुल एवं पथ निर्माण के लोक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित नौ मौजे के चिन्हित भू–खण्डों का अर्जन अधिनियम–30/13 के प्रावधानों के तहत प्रभावित व्यक्तियों को उचित प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान करते हुए किया जायेगा तथा इसके लिए अधिनियम के धारा–11 के तहत हितबद्ध रैयतों के नाम सहित अधिसूचनाओं का प्रकाशन सम्यक रूप से कराया जायेगा।

समाहर्त्ता, दरभंगा
–सह–
समुचित सरकार

ज्ञापांक 894 /भू–अ0, दिनांक 20/X/16

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– अंचला अधिकारी, बिरौल/गौड़ा–बोराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा के तहसील कार्यालयों एवं ग्रामों में प्रकाशन कराकर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

प्रतिलिपि :– सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला समाहर्त्ता, दरभंगा के बेवसाईट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

प्रतिलिपि :– वरीय परियोजना अभियंता, बि0रा0पु0नि0नि0लि0, कैम्प बलुआहाघाट, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भू–अर्जन के बेवसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

20/10/16
समाहर्त्ता, दरभंगा
–सह–
समुचित सरकार